संख्या-3/2017/248/49-1-2017-8(56)/13टीसी

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 08 मार्च, 2017

विषय- उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग हेतु प्रदेश के अवशेष जनपदों में 19 कम्प्यूटर आपरेटर के पदों की वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक 28-02-2017 तक) की क्रमागत स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-275/49-1-2016-08(56)/13टीसी-10 दि0 15-02-2016 एवं संख्या-1009/49-01-16-08(56)/13टीसी दि0 18 जुलाई, 2016 के क्रम में अपने कार्यालय पत्रांक-1113/रा0स0नि0आ0(स्टाफिंग पै0-3) दि0 02 फरवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 15-02-2016 द्वारा प्रदेश के अवशेष जनपदों में 19 कम्प्यूटर आपरेटर के अस्थायी पदों के सृजन पर इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है कि उक्त पदों पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी अपितु इन पदों को प्रथमत: राज्य सरकार के कर्मियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा अर्द्वशासकीय संस्थाओं, उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों से प्रतिनियुक्ति/आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

3- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 15-02-2016 के माध्यम से उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग हेतु प्रदेश के अवशेष जनपदों हेतु 19 कम्प्यूटर आपरेटर के अस्थायी रूप से सृजित पदों की वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दिनांक 28-02-2018 तक निरन्तरता की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- इस संबंध में पूर्व निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 15-02-2016 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

5- यह आदेश वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2017/248(1)/49-1-2017-08(56)/13टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग।
7- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनु0-2/बजट अनु0-2/सहकारिता अनुभाग-3/वेतन आयोग अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।